

लायंस क्लब ने किया डॉक्टर्स का सम्मान



बड़वानी। हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। डॉक्टर्स ही वो इंसान हैं, जिसे हर व्यक्ति कष्ट के समय याद करता है और डॉक्टर्स ही अपना काम ईमानदारी से कर मरीजों को नवजीवन देते हैं। लायंस क्लब जून चैयरपर्सन संतोष भावसार एवं कोषाध्यक्ष भरत रावल ने कहा कि कोरोनाकाल में जब लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, वहीं डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर खुद को भी सुरक्षित रखते हुए कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे थे। जितने जैन ने बताया कि लायंस क्लब सदस्य प्रतिवर्ष डॉक्टर्स डे पर जिले में लंबे समय से सेवारत डॉक्टर्स को सम्मानित करते हैं। इस वर्ष भी डॉक्टर्स को मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित किया। महेशचंद्र शर्मा ने बताया कि सदस्यों ने पीड़ित मानव सेवा के लिए अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाने के लिए डॉक्टर्स को बधाई दी एवं भविष्य में भी इस सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए शुभकामनाएं भी दी। राम जाट ने अपील कि है कि डॉक्टर्स अपना पूरा जीवन मरीजों के उपचार में लगाते हैं और लोगों को नया जीवन देते हैं। डॉक्टर्स की बहुमूल्य सेवा और भूमिका का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। इसलिए सभी लोग डॉक्टर्स का सम्मान करें।

90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान आरम्भ

बड़वानी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता और सुलह अभियान का क्रियान्वयन होना है। इसके लिए नोडल अधिकारी के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेंद्र कुमार जैन को नियुक्त किया है। जिले के सभी न्यायालयों में लॉबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। मध्यस्थता के लाभों में मध्यस्थता प्रणाली पूर्णतः गोपनीय है। विवाद का अखिलात्मक शीघ्र समाधान समय व वर्ष की बचत। न्यायालयीन प्रक्रिया से राहत। विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमान्य समाधान। समाधान पक्षों की सहमति को महत्व। मध्यस्थता के लाभों में कोई अपील या अपील नहीं होता, विवाद का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है। मध्यस्थता में विवाद निपटाने पर, वादी कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा-18 के तहत शुल्क वापिस लेने का हकदार होता है।

दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष की जेल

बड़वानी। विशेष न्यायालय (पाक्सो) रेखा आर चन्द्रवंशी ने पारित अपने फैसले में नाबालिक पीड़िता का अपहरण करने के आरोपी में आरोपी हर्षत थाना पानसेमल को धारा 366 भादवि में 7 एवं 10 हजार रूपए जुर्माना एवं धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं कुल 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन जिला दुष्यंतसिंह रावत ने की।

कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत पर कलेक्टर ने लगाया रासुका

इंदौर। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने यह सख्त कदम उठाते हुए रासुका के तहत निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। अनवर कादरी निवासी 44 सदर बाजार के खिलाफ इंदौर के विभिन्न थानों में अब तक 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

दलित मजदूर का शव रोकने पर अस्पताल में हंगामा

- सो-3 हॉस्पिटल पर एक लाख की दसुली का आरोप
- पुलिस पहुंची तो दिया शव



इंदौर। अदालत और सरकार के स्पष्टनिर्देशों के बावजूद शहर के निजी अस्पतालों द्वारा बकाया राशि के नाम पर शवों को रोकने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। एबी रोड स्थित सो-3 अस्पताल ने एक दलित मजदूर के शव को बकाया रकम के चलते दो दिनों तक रोके रखा। मामला तब तूल पकड़ गया जब बलाई महासच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित नेता अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे और घेराव कर शव को लक्काल परिजनों को सौंपने की मांग की। संजय गांधी नगर में रहने वाले

जगदीश भालेराव नामक दलित मजदूर को हाट की बीमारी के चलते बीते पांच दिनों से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव देने के एवज में परिजनों से एक लाख रूपए की मांग

लाखों का डंपर 6 घंटे में बरामद

ऑपरेशन हवालात के तहत एसपी के निर्देशन में पानसेमल पुलिस को मिली बड़ी सफलता



पानसेमल, (नवभारत)। एसपी जगदीश डावर के निर्देशन, एसपी धीरज बब्बर एवं एसडीओपी आयुष कुमार अलावा के मार्गदर्शन में जिले में ऑपरेशन हवालात अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत थाना पानसेमल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। महज 6 घंटे में 30 लाख कीमत का चोरी गया डंपर बरामद कर तीन आरोपी आबिद पिता मोहम्मद गनी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम घरवासन जिला नूंह हरियाणा, सद्दाम हुसैन पिता तुंडल खान उम्र 33 वर्ष निवासी चौकी तह रायगढ़ जिला अलवर राजस्थान एवं मुजाहिद पिता ताहिर हुसैन को पकड़ा है। प्रास जानकारी के अनुसार 30 जून 2025 की रात लगभग 9 बजे फरियादी सुरेश पिता रेहमानजी काठान निवासी बांडिया रायपुर राजस्थान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि

डंपर आरजे-36-जीए-9849 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। वाहन की अनुमानित कीमत 30 लाख रूपए है। प्रकरण में पानसेमल थाने में मामला पंजीबद्ध कर तत्काल जांच प्रारंभ की गई। सर्विलांस एवं तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से डंपर की जीपीएस लोकेशन ट्रेस की गई। पानसेमल पुलिस ने कंट्रोल रूम बड़वानी को सूचित कर थाना पलसुद, सिलावद एवं पाटी थाने में नाकेबंदी कराई। सिलावद पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए डंपर और तीनों आरोपियों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई में निरीक्षक मंशाराम वगैरे

डंपर की कीमत 30 लाख
वाहन की अनुमानित कीमत 30 लाख रूपए है।
पुलिस ने प्रकरण दर्ज तत्काल प्रारंभ की जांच।

सभी थाना क्षेत्रों में हुए जागरूकता कार्यक्रम

बड़वानी, (नवभारत)। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एसपी जगदीश डावर के निर्देशन व एसपी धीरज बब्बर के मार्गदर्शन में जिले के सभी थानों द्वारा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मोहल्लों, कॉलोनी, बस्तियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर जन संवाद व जागरूकता कार्यक्रम किए गए। जन संवाद में वरिष्ठ अधिकारियों, थाना प्रभारी एवं स्टॉफ ने बच्चों और नागरिकों को नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों तथा अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव के उपाय



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों तथा अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव के उपाय

परीक्षा केंद्र से चोरी का चंद घंटों में पर्दाफाश

इंदौर। संयोगितागंज पुलिस ने एक परीक्षा केंद्र से कंप्यूटर उपकरण चोरी के मामले में महज कुछ घंटों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से करीब 2.48 लाख मूल्य का माल भी जब्त किया है। डीसीपी जौन-3 हंसराज सिंह व एडीसीपी रामसेनेही मिश्रा के



मार्गदर्शन और एसपी संयोगितागंज तुषार सिंह के नेतृत्व

एक नजर में बिजासन से सेंधवा मार्ग क्षतिग्रस्त

नवभारत न्यूज सेंधवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 3 जो मप्र से महाराष्ट्र को सीधे जोड़ता है। इस फोरलेन सड़क के प्रवेशद्वार बिजासन से खलघाट वाले हिस्से विशेष रूप से बिजासन से सेंधवा वाले हिस्से में मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। साईड शोल्डर भी कई जगह भर हुए नहीं हैं। साथ ही मीडियन से पौधारोपण भी गायब है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत प्रेषित की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता वीएल जैन ने समस्या को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को ई-मेल से शिकायत प्रेषित करते हुए उन्हें अवगत कराया है कि उक्त मार्ग

अनेक स्थानों से क्षतिग्रस्त हो चुका है। विशेष रूप से बिजासन से सेंधवा तक बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं। साथ ही पटरी के साईड के शोल्डर भी नहीं भरि होने से भारी आवागमन के कारण दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसी तरह अनुबंध की शर्तों के मुताबिक कंसेप्चर को फोरलेन सड़क के मध्य मीडियन में पौधारोपण करते हुए उसका नियमित रखरखाव करना चाहिए ताकि रात्रि के समय आवागमन में वाहनों के लाईट के कारण वाहन चालकों को परेशानी नहीं हो, लेकिन वर्तमान में हालात ये हैं कि सड़कें मोटर लंबे मीडियन में पौधारोपण ही नहीं हैं। इसका मरम्मत कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा रहा है ना ही साईड शोल्डर भरे जा रहे हैं। बावजूद इसके परियोजना निदेशक इंदौर इस बदहाली के बाद भी खामोश है जैन ने कहा कि आम जनता को प्रत्येक किमी का पूरा टोल टेक्स चुकाने के बाद भी क्षतिग्रस्त एवं बदहाल फोरलेन मार्ग पर यात्रा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक सड़क का सतत मरम्मत कार्य होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से यहां ऐसा नहीं हो रहा है। प्रत्येक वाहन से कंसेप्चरवाट टोल की वसूली कर रहे हैं। खलघाट से बिजासन घाट के मध्य लगभग 80 किमी मार्ग पर बीओटी योजना के तहत फोरलेन सड़क का निर्माण कर सन 2011 से इस मार्ग से टोल की

वसूली प्रारम्भ हुई है इसके पूर्व इस सड़क की हालत बेहद खस्ताहाल थी, हमेशा एक जुमला प्रचलित था कि मुम्बई याने महाराष्ट्र की ओर से जब आपको जान लेवा सड़क से गुजरना पड़े तो समझ लो कि आप मप्र में याने महाराष्ट्र और मप्र की सीमा बिजासन घाट में प्रवेश कर चुके हैं।

कार्रवाई की मांग

टोल टेक्स चुकाने के बाद भी प्रतिदिन वाहन चालकों को खराब सड़क पर यात्रा करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। अतः इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग पत्र में की गई है।

सोने के गहनों की नीलामी के लिए समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना
बजाज फाईनान्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: मुंबई-पुणे रोड, अकुरुडी, पुणे-411035

BFL सभी ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित करता है कि गोल्ड लोन लेते समय ऋणी ने बतौर सेक्युरिटी अपने लोन खाते में सोने के गहने गिरवी रखे और बाय नोटिस दिए जाने के बावजूद जो ऋणी लोन की राशि चुकाने या आवश्यक मार्गिन देने में विफल रहे उनके गहने जहां हैं जैसा है और जो है जैसा है आधार पर नीलाम किए जाएंगे। निविदा करने वालों से अनुरोध है कि नीचे दी गई शर्तों का पालन करें:

- क) क्यूआर कोड स्कैन कर सार्वजनिक सूचना (लोन, गहनों का सकल वजन, स्थान और नीलामी की तिथि) की सम्पूर्ण जानकारी देखें।
- ख) सार्वजनिक नीलामी से संबंधित निविदा के सभी नियम और शर्तें ("टी एण्ड सी") वेबलिक <http://172.30.1235.3000/?wOUB2Q69WU> के माध्यम से पढ़ें;
- ग) नियम और शर्तें समझ लें और उसके बाद ही नीलामी की तिथि या उससे पहले बतौर अग्रिम जमा राशि रु.25,000 ट्रुसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस/बजाज गोल्ड ऑक्शन ऐप) कर दें;
- घ) नीलामी के स्थान पर सुबह 10 बजे तक व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करें; तथा
- ङ) नीलामी के स्थान पर अपना पहचान और पते का वैध प्रमाण लेकर आएं।
- च) नीलामी की दिन में दोपहर 12 बजे के बाद नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- छ) शाखा प्रबंधक/नीलामीकर्ता को बोली लगाने वालों की भागीदारी स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि वे निर्धारित समय सीमा में भाग नहीं लेते हैं, चाहे वे अग्रिम राशि जमा राशि (ईएफडी) का भुगतान कर चुके हों।



स्कैन करें

नीलामी के स्थान और तिथि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसकी सूचना नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित की जाएगी। आपका निविदा करना उपरोक्त शर्तों पर सहमत होना माना जाएगा। यदि सार्वजनिक नीलामी से बिक्री निर्लिखित/निरस्त होती है तो बीएफएल ऋणी(ऋणियों) के कहने पर निजी तौर पर गहनों की बिक्री करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए हमसे इस ईमेल अड्रेस पर संपर्क करें - gold.auction@bajajfinserv.in

(11-07-25): बरेली जेजे रोड GL: PCA3GOL12259719, बैतूल - अम कॉम्प्लेक्स: PCA4GOL11983043, 12039668, 12090742, 12235691, भोपाल-इमामी गेट रोड GL: PF46GOL11983109, 12024952, 12098574, 12180149, 12179339, भोपाल - इंदूरपुरी GL: PF49GOL11590534, 12056073, 12174282, (12-07-25): भोपाल करोड I: PJD2GOL11933140, भोपाल-मध्य प्रदेश नगर जौन GL: PCA5GOL1173459, L9872010, 10213247, 12026342, 12194441, बीना - इटावा स्टेशन रोड GL: PCA6GOL11916722, 11912513, 12022252, 12065792, 12159685, 12153830, 12159103, छतरपुर: P568GOL12054184, 12052169, 12293001, छिंदवाड़ा लालबाग GL: PEQ1GOL12039808, 12097729, 12095351, 12176087, देवास एबी रोड GL: PGG2GOL12054694, 12117855, 12113581, 12119734, 12196745, (14-07-25): ग्वालियर डाबरा I: PKH4GOL12242856, ग्वालियर GL: PF25GOL11915375, 12077710, 12074045, 12067293, 12096097, 12090248, 12131630, 12153427, 12173468, 12231155, 12252219, ग्वालियर गोले का मंदिर I: PJD1GOL11620311, 11713577, 11812589, 11933457, 11982009, 12131340, 12168085, 12196303, 12219037, ग्वालियर मोरार I: PHF9GOL11815790, 11912000, 11933333, ग्वालियर विनय नगर GL: PEF2GOL11823395, 11816502, 11915617, 11914498, 11943502, 11958321, 12096412, 12139656, 12135869, 12179231, 12259885, 12295594, हर्दो सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल GL: PCA8GOL12156118, 12157285, 12212357, (15-07-25) होशंगाबाद मीनाभी चौक GL: PCA9GOL11602000, 11880599, 11985713, 12074481, 12092496, 12193457, इंदौर अन्नपूर्णा रोड GL: PER2GOL11813866, 12099379, इंदौर विजय नगर GL: PGJ9GOL11970024, 12009582, 12010260, इटारसी GL: P03WGOL11821292, 11880418, 11892176, 11992467, 12149725, 12161291, 12171017, 12196627, 12216872, 12221976, 12216312, (16-07-25) गाडखारा इंड्रा वार्ड I: PKA3GOL12097930, 12133967, 12171326, 12244354, 12244090, गंज बसौदा GL: P02WGOL12103082, 12102892, 12148848, गुना एबी रोड GL: PEH2GOL11834545, 11874195, 11877912, 11912632, 11911636, 11931170, 12129774, 12259910, 12213091, जबलपुर-दीनदयाल चौक GL: PEH4GOL12172913, खंडवा शिवाजी चौक GL: PCP1GOL11879254, खरगोन जवाहर मार्ग I: PJC9GOL11822688, 11836919, 12199449, 12198725, 12255327, (17-07-25)जबलपुर आशोका रोड GL: PGO3GOL10054750, 10147396, 11930805, 11978026, 12010631, 12039448, 12076542, 12116716, 12156715, 12129774, 12259910, मुरैना-शिवनगर I: PJC8GOL11856728, 11964064, 11988683, 12071066, 12242421, 12274070, मरसिंहपुर BGL: P6Y8GOL12103200, 12178627, 12234185, 12291247, पोरसा BGL: P14PGOL11820366, 11970278, 12052130, 12175919, 12219348, (18-07-25) रीवा BGL: P4A7GOL11934463, 11987413, 1205052, 12073384, 12118023, 12192233, 12218422, सबलगाड, P13PGOL15591433, L5744781, सतना रीवा रोड GL: PCP2GOL12079518, 12134028, 12151166, 12196371, (19-07-25) ग्वालियर सिटी सेंटर GL: PCA7GOL11134530, 11515324, 11556326, 11841640, 11929944, 12215454, 12270318, शहडोल BGL: P6E0GOL11900438, 119462134, 12113925, श्यामपुर - शिवपुरी रोड: P38CGOL11916603, 12217271, 12290866, शिवपुरी - एबी रोड GL: PEH3GOL11816096, 11914213, 11932815, 11950286, 11990347, 12009578, 12010668, 12012527, 12027782, 12036417, 12053430, 12064122, 12296157.

बजाज फाईनान्स लिमिटेड

परेशानी निम्न और मध्यम वर्ग को लोग परेशान

सिलेबस बदलने से पालक नई किताबें खरीदने को मजबूर



इंदौर। राज्य और केंद्र शासन का दोहरा रूप आज भी कायम है, शासन द्वारा एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा देने और सहयोग के बड़े वादे किए जाते हैं वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूलों द्वारा जो जा रही खुली लूट पर जानबूझ कर नजर अंदाज कर दिया जाता है, ऐसे में निम्न वर्ग को बच्चों की शिक्षा के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आम जनता और समाजसेवियों द्वारा लाख विरोध के बावजूद आज भी निजी स्कूल अपनी कमीशन खोरी बंद नहीं कर रहे, वहीं शासन-प्रशासन भी लापरवाह बन चुका है, शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, स्टेशनरी की छोटी-बड़ी दुकानों पर पालकों को भीड़ भी बढ़ चुकी है और हमेशा की तरह इस बार भी बच्चों के सिलेबस इसलिए बदल दिए गए हैं ताकि बच्चे किसी दूसरे से सेकेंड हैंड

इन्का कहना है... अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए पालकगण हर मुमकिन कोशिश और कुर्बानियां देते हैं, राज्य शासन को कठोर निर्णय लेते हुए शिक्षा में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, हर घर शिक्षित हो।
-शादाब खान
जहां शिक्षा पर जोर सिर्फ नारों में दिया जाता है वहीं जमीनी हकीकत तो यह है कि हर तरफ लूट खसूट मची है, कमीशन खोरी चरम पर है जिस पर कोई लगाम नहीं है।
-सूरज माली
उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से यह छलवा है, हजारों रूपयों के कोर्स पूरी मोनोपोली वाले होते हैं, जो दूसरी स्टेशनरी शॉप पर नहीं मिलते, शासन सख्त नियम बनवाए और सख्ती से पालन करवाए,
-चैन सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष जागरूक उपभोक्ता समिति
कोर्स नहीं खरीद सकें और पालकों को नई सिलेबस को खरीदना मजबूरी बन जाता है, इसके चलते दुकानदार अच्छी खासी उगाई करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा स्कूल संचालकों को भी जाता है, यानी कुल मिलाकर पालकों की जेब पर डाका

वर्ष भी डल रहा है, जबकि दो वर्ष पहले ही जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने शिक्षा को लेकर कई आदेश दिए थे जो अब शासन और प्रशासन द्वारा खुद ही ठंडे बस्ते में रखवा दिए गए हैं।